

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार



अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
बी-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

ई-मेल: dscstschscheme.delhi@gov.in

वेबसाइट: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in

मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाएं 2019-20

वर्ष 2019-20 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 06 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

इन क्रियाकलापों की समय-सीमा निम्नानुसार है।

क्रियाकलाप	तारीख
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (एनएसपी) करने की अंतिम तिथि (पहली बार आवेदक/नवीकरण)	15 अक्टूबर, 2019 तक
मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (एनएसपी) करने की अंतिम तिथि (पहली बार आवेदक/नवीकरण)	31 अक्टूबर, 2019 तक

पात्रता

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
- वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो।
- अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछले बोर्ड/कक्षा की परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो।

निर्देश

आवेदकों के लिए

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट यथा www.scholarships.gov.in (इस साइट पर लिंक www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है) या मोबाइल ऐप - National Scholarship (NSP) पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश' और 'बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध है।
- आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दें जो सक्रिय मोड में है या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिए

- सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहा है, को 31 जुलाई, 2019 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए (यदि उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया है)।

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर जाएं। समाधान हेल्पलाइन (टोल फ्री: 1800-11-2001) (समय सुबह 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार, छुट्टी का दिन छोड़कर)।

DIP/Shabdarth/0423/19-20

प्रधान सचिव